

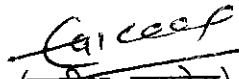
छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

// आदेश //

नया रायपुर, दिनांक ०२ जून, 2017

क्र. 289 /F-01001066/ब-4/चार, वित्त विभाग के आदेश क्रमांक 878, 879/
F-04-1001066/सम./ब-4/चार, दिनांक 07.10.2014 में अंशिक संशोधन करते
हुए छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग द्वारा विभिन्न विभागों के पद संरचना में
संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है :-

- | | |
|--|-----------|
| 1. विशेष सचिव, वित्त विभाग | - अध्यक्ष |
| 2. सामान्य प्रशासन विभाग का प्रतिनिधि
(जो उप सचिव, से निम्न स्तर का न हो) | - सदस्य |
| 3. संबंधित विभाग का बजट देखने वाले
संयुक्त सचिव/उप सचिव | - सदस्य |
| 4. संयुक्त सचिव, नियम शाखा | - सदस्य |


(सतीश पाण्डेय) 11/6/17

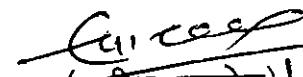
संयुक्त सचिव

पृ.क्र. 290 /F-01001066/ब-4/चार

नया रायपुर, दिनांक 02/06/2017

प्रतिलिपि :-

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
मंत्रालय, नया रायपुर
2. समस्त विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव के निज सहायक, वित्त
विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
3. समस्त अवर सचिव/विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी/शोध अधिकारी, वित्त
विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
4. समस्त बजट शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर
की ओर सूचनार्थ ।


(सतीश पाण्डेय) 11/6/17
संयुक्त सचिव